संख्या-4/2017/16/33-3-2017-10जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मंडलायुक्त, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, मेरठ, मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, एवं आजमगढ़।
2. जिलाधिकारी, जनपद हाथरस, फिरोजाबाद, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी, कुशीनगर।
3. मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उपरोक्त सम्बन्धित जनपद।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 2017

विषय : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2017/3200/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 03.1.2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर.जी.पी.एस.ए./आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत प्रदेश में जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टरों (डी.पी.आर.सी.) के निर्माण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। दिशा-निर्देश के प्रथम बुलेट बिन्दु का उल्लेख निम्नवत किया गया है:-

जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टरों का निर्माण मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में दिनांक दिसम्बर, 2016 द्वारा गठित मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति के मार्गदर्शन में कराया जायेगा। इस प्रकार से निर्मित होने वाले सेन्टर, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करेंगें।

उक्त प्रथम बुलेट बिन्दु में मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति के गठन का शासनादेश संख्या-3/2017/3091/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 03.1.2017 का अंकन

http://shasnadeshup.nic.in

किया जाना था जो त्रुटिवश आनलाईन करते समय अंकित नहीं हो पाया। अत: उक्त प्रथम बुलेट बिन्दु को संशोधित करते हुए निम्नवत अंकित किया जाता है:-

जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टरों का निर्माण मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-3/2017/3091/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 03.1.2017 द्वारा गठित मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति के मार्गदर्शन में कराया जायेगा। इस प्रकार से निर्मित होने वाले सेन्टर, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करेंगें।

2- उक्त शासनादेश संख्या-2/2017/3200/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 03.1.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2- मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
4- निदेशक, पचांयती राज विभाग, उ0प्र0।
5- निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, उ0प्र0।
6- जिला पंचायत कार्यदायी संस्था, संबंधित जनपद।
7- समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0 पत्रांकित मंडल के अतिरिक्त।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
11- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित जनपद।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in